न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1083–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–2–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर प्रकरण कमांक 8/अ–13/2011–12.

रमेश पिता राधाकिशन जाति कलोता
निवासी ग्राम धतुरिया तहसील सांवेर जिला इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमति सुमित्रा बाई पति कैलाश
निवासी ग्राम धतुरिया तहसील सांवेर जिला इंदौर

.....अनावेदक

श्री विकांत होल्कर अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 26 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश 5–2–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम टाकुन तहसील सांवेर स्थित सर्वे कमांक 720/1/1 रकबा 0.379 हेक्टेयर भूमि उसके स्वत्व स्वामित्व की भूमि है । उक्त भूमि पर जाने का एक मात्र रास्ता गांव से होकर सांवेर

पालिया रोड से विद्युत ग्रिड से होकर धतुरिया व बालोद के काकड से होते हुये आगे बालोदा टाकुन के कांकड से होते हुए अनावेदक की कृषि भूमि तक जाता है । अनावेदक द्वारा उक्त सरकारी कांकड फाडकर अनावेदक की कृषि भूमि पर जाने का रास्ता रोक दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अंतरिम तौर से रास्ता खुलवाने का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ–13/11–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 5–2–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण के निराकरण तक आवेदक को अतिक्रमण हटाकर अनावेदक को रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये । साथ ही हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिये गये कि वे मौके पर पहुँच कर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर 15 फीट का रास्ता खुलवाये एवं आवेदक के विरूद्ध अतिक्रमण रिपोर्ट भी पृथक से प्रस्तुत करें। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की भूमि में से 15 फीट चौडा रास्ता दे दिया गया है, जबकि आवेदक की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है । यह भी कहा गया कि आवेदक के विरूद्ध शासकीय भूमि पर अतिक्रमण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इससे स्पष्ट है कि शासकीय भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण नहीं है ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा विधिवत दिनांक 10–1–2013 को स्थल निरीक्षण किया गया है और स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि प्रश्नाधीन रास्ता शासकीय चरागाह काकड सर्वे नंबर 723 तलाई से होता हुआ अनावेदक की भूमि पर जाता है और आवेदक द्वारा शासकीय भूमि को जोत कर रास्ता अवरूद्ध किया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने का आदेश देने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । आवेदक के विरूद्ध शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं करने से यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि आवेदक द्वारा शासकीय रास्ते को जोत कर रास्ता अवरूद्ध नही किया गया है, अतः इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का तर्क

अमान्य किये जाने योग्य है तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभी अंतरिम तौर से प्रश्नाधीन रास्ता खोलने का आदेश दिया गया है और तहसीलदार द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वह साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता शासकीय भूमि से न होकर आवेदक की भूमि से होने संबंधी तथ्य को प्रमाणित कर सकते हैं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–2–2013 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
ग्वालियर